न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 05/2023

उनवान

1. बसराज,
2. जीतराम पुत्र स्व. बद्रीलाल,
3. सुरज्ञान ,
4. गुमान पुत्री स्व. बद्रीलाल,
5. भूलादेवी पत्नि स्व. बद्रीलाल,
6. शंकर पुत्र शैतान,
7. रेखा,
8. पोरन्ता पुत्री शैतान नाबालिग पुत्री जरिये माता शान्ति पत्नि शैतान,
9. शान्ति पत्नि शैतान समस्त जातिगण जाट निवासीगण सुरजपुरा तहसील नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. किशन पुत्र लाला **(तर्क)**
2. समौत्रा,
3. मनफूल,
4. परमा पुत्री श्रीकिशन,
5. पारसी पत्नि श्रीकिशन,
6. मल्ला ,
7. जगदीश,
8. भैरू,
9. उमराव पुत्र हरचन्द ,
10. श्रीराम पुत्र छगनलाल,
11. इन्द्रा पत्नि घीसा,
12. भुरी पत्नि रामराज ,
13. कालू पुत्र चतरा समस्त जातिगण जाट निवासीगण सुरजपुरा तहसील नसीराबाद
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 11 व 12 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
14 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :–   दिनांक :– 14.6.24

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोराझडी की निम्न आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की खातेदारी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
122/123	1552	0.20
	1554	0.20
	1555	0.21
	790/2205	0.16
	801	0.01
	808	0.11
	808/2278	0.01

उपरोक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में छगना पुत्र घीसा 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसके वारिस अप्रार्थी संख्या 10 है। खातेदार हरचन्द 1/4 हिस्से के वारिस अप्रार्थी संख्या 6 से 9 है। श्रीकिशन पुत्र लाला 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 है जो जीवित है। श्रीकिशन के कुल 6 वारिस है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ये 5 है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हित व अधिकार निहित है। अप्रार्थी संख्या 11 से 12 उक्त आराजी पर बिना किसी अधिकार के दखलदांजी कर रहे है तथा अप्रार्थीगण उक्त आराजी को बैचान करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 11 व 12 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने जरियें मुख्तयार आम से अप्रार्थी संख्या 11 व 12 से सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर दिनांक 20.12.22 को उक्त आराजी कय कर मोके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया। जवाबकर्ता को उक्त आवेदन से पाबंद नही किया जा सकता है। जवाबकर्ता आजी मुतनाजा के सद्भावी केता है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। साथ ही अप्रार्थी संख्या 11 व 12 ने मूल वाद में भी जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि प्रार्थीगण ने अन्य पुश्तैनी आराजी का वाद पेश नही किया है। मात्र आराजी मुतनाजा जो उनके द्वारा कय की गयी है का वाद पेश किया है। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में छगना पुत्र घीसा/1/2 हि0, श्रीकिशन पुत्र लाला 1/4 हि0 व हरचन्द पि0 अर्जुन 1/4 हि0 दर्ज है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 श्रीकिशन पुत्र लाला के हिस्से पर विभाजन व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये उक्त वाद पेश किया है। पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार उक्त आराजी श्रीकिशन पुत्र लाला की पुश्तेनी है। प्रार्थीगण श्रीकिशन के विधिक वारिस है जिनका उक्त पुश्तैनी आराजी पर हक व हिस्सा निहित है। वाद विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु हो गयी है। अप्रार्थी संख्या 11 व 12 ने भूमि के पुश्तैनी होने अथवा प्रार्थीगण का उकत आराजी पर हिस्सा व हक होने के तथ्यों का खण्डन नही किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने जरियें मुख्तयार आम से अप्रार्थी संख्या 11 व 12 से सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर दिनांक 20.12.22 को उक्त आराजी विकय कर दी। भूमि पुश्तैनी होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त आराजी को बैचान करने का अधिकार नही था। अप्रार्थी संख्या 11 व 12 का यह भी कथन

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

है कि प्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण पुश्तैनी भूमि का वाद पेश नही कर आंशिक भूमि का वाद ही पेश किया है। किन्तु उक्त तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से तय किये जायेंगे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा पुश्तेनी सिद्व होती है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की पुश्तेनी है। अप्रार्थी संख्या 11 व 12 ने खसरा नम्बर 1554 व 1555 कय कर लिये है। यदि व्यादेश जारी नही किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकर नही किया जा सकता है।ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तदनुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम ग्राम मोराझडी के खाता संख्या 122/123 हाल खसरा नम्बर 1552, 1554, 1555, 790/2205, 801, 808, 808/2278 किता 7 रकबा 0.90 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद